मेरठ विकास प्राधिकरण

की

चौथी बोर्ड बैठक

दिनाँक 12-7-77

का

कार्यवृत्त

दिनाँक 12-7-77 को आयुक्त कार्यालय मेरठ में 10-30 बजे दिन में होने वाली बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

अध्यक्ष महोदय के साथ निम्नलिखित उपस्थित रहे ।

1- श्री हौसिला प्रसाद वर्मा	उपाध्यक्ष
2- श्री एन० के० अग्रवाल	सदस्य
3- श्री वी० के० गुप्ता	सदस्य
4- श्री आर० एस० माथुर	सदस्य

1- पिछली बैठक दिनाँक 30-4-77 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी ।

2- धारा 14/15 के अन्तर्गत अपीलें एवं मानचित्र की स्वीकृति में नीति सम्बन्धी बिषय पर विचार ।

क- प्राधिकरण ने निश्चय किया गया कि प्राधिकरण इस सम्बन्ध में केवल नीति निर्धारित कर सकता है तथा प्रत्येक मामले में उपाध्यक्ष को ही पहले निर्णय लेना चाहिए क्योंकि वे ही इसके लिये सक्षम है ।

ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा नीति के सम्बन्ध में विचार किया गया तथा यह निश्चय हुआ कि प्रस्तावित महायोजना में निर्धारित सडक क्षेत्र में किसी भवन निर्माण की अनुमति न दी जाये । यदि वर्तमान सडक की सीमा तथा स्वीकृत भवन के बीच में भूस्वामी की कोई भूमि आती है तो भूस्वामी उसे चाहरदीवारी या बाड लगाकर घेर सकता है । यदि भविष्य में सडक चौडा करने के लिये इस भूमि को अधिग्रहण करने की आवश्यकता हुई तो चाहरदीवारी/बाड के लिये भूस्वामी किसी मुआवजे का अधिकारी नही होगा ।

3- श्री प्रेमचन्द टण्डन, मानसरोवर के केस में शासन द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन ।

श्री पी० सी० टण्डन स्वयं ही अपना मामला स्पष्ट करने के लिये उपस्थित हुए । उन्होंने बताया कि उनके भवन में कोई सरकारी जमीन शामिल नहीं है और ना उन्होंने बाउन्ड्री वाल बनायी है । उनके अनुसार वह बाउन्ड्री वाल तत्कालीन आयुक्त महोदय की जानकारी में राजस्व विभाग द्वारा बनवाई गयी

होगी, फिर भी यदि किसी भाग पर अतिक्रमण पाया जाये तो वह उसे छोडने के लिये तैयार है। उनका दूसरा तर्क था कि उन्होंने कोई निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध नहीं किया है।

यह तय हुआ कि अतिक्रमण के मामले की जाँच जिलाधिकारी तहसीलदार मेरठ द्वारा करवा लें तथा मौके पर सीमाकंन करवाकर यह बतायें कि कितना भाग अतिक्रमित है। अनाधिकृत निर्माण के बारे में संघीय नियोजक, मेरठ से अनुरोध किया गया कि स्वीकृत मानचित्र से मौके पर निर्मित भवन का मिलान करके आख्या दें कि कौन सा भाग श्री टण्डन ने स्वीकृत के विरुद्ध बनाया है दोनों आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत की जायें जिससे मामले पर विचार हो सके।

4- घन्टाघर के सामने डाक्टर अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की अनुमति देने पर विचार।

तय हुआ कि जो विवरण व प्लान इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये हैं उनकी जाँच करके संघीय नियोजक मेरठ अपनी आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

5- इन्द्रानगर के निवासियों के प्रार्थना-पत्र पर विचार।

दिनाँक 30-4-77 को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार बाँछित मानचित्र निवासियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: तय हुआ कि इसे बनबाकर प्रस्तुत करने के लिये पत्र भेजा जाये और यदि वे अगली बैठक से पूर्व मानचित्र प्रस्तुत कर देते हें तो इसके अगली बैठक में विचार के लिये रखा जाये।

6- कोटला सब्जी मण्डी को हटाकर नई सब्जी मण्डी बनाने पर विचार।

तय हुआ कि मामला नगर के भविष्य के लिये बहुत महत्वपूर्ण है अत: मौके पर निरीक्षण करके अपनी आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिये संघीय नियोजक, मेरठ, नगर मजिस्ट्रेट तथा प्रशासक नगरपालका, मेरठ तीनों की समिति बनायी जाये जिससे कि वे सम्भावित विकल्पों पर विचार करते हुए

स्थानों का निरीक्षण कर लें तथा अपनी सम्मति प्रस्तुत करें प्रशासक नगर पालिका इसके संयोजक होंगे ।

7- मेरठ विकास प्राधिकरण के लिये प्रस्तावित मेरठ महायोजना के अनुसार विकास कार्य के लिये भूमि अर्जित करने पर विचार ।

उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण को बताया कि मेरठ नगर की प्रस्तावित महायोजना के अनुसार आवासीय/व्यवसायिक आदि प्रयोजन के लिये भूमि का विकास होना है इस हेतु उन्होंने मेरठ हापुड रोड पर स्थित भूमि के बिषय में योजना प्रस्तुत की, यह निश्चय किया गया कि उपाध्यक्ष बाँछित भूमि खण्ड के अर्जन के लिये प्रार्थना-पत्र भूमि अध्याप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा प्रथम विज्ञप्ति यथाशीघ्र जारी कराने का प्रयास करें जिससे इस भूमि का व्यक्तिगत हस्तान्तरण रुक सके । साथ ही यह भी तय हुआ कि विकास अभियन्ता पूरी योजना सभी सदस्यों को भेज दें, जिसमें उस पर विचार करके अगली बैठक में स्वीकृति दी जा सके । यह भी बताया जाये कि योजना के लिये आवश्यक धन किन स्रोतों से उपलब्ध हो सकेगा ।

8- आर्कीटैक्ट को लाईसेन्स देने की नीति पर विचार ।

तय हुआ कि इस बारे में अन्य प्राधिकरणों में प्रचलित नियमों की जानकारी लेकर अगली बैठक में प्रस्तुत की जायें और तब तक वर्तमान व्यवस्था चालू रखी जाये । यह भी तय हुआ किसी अभ्यर्थी केन्द्रीय या प्रादेशिक सरकारों के लोक निर्माण विभाग से सेवा निवृत्त होने से पहले सहायक अभियन्ता या उससे ऊँचे पदों पर दो साल तक कार्य कर चुके हों उन्हें फिलहाल आर्कीटैक्ट लाईसेन्स दे दिये जायें ।

9- मेरठ विकास प्राधिकरण के बजट व स्टाफ की स्वीकृति पर विचार ।

क- तय हुआ कि पूरा बजट अगली बैठक में रखा जाये क्योंकि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव अथवा उनका कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं

है तथा बजट की कापियाँ समस्त सदस्यों को पहले से भेज दी जायें तब तक केवल स्टाफ के वेतन भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

ख- प्राधिकरण में मुकदमों की पैरवी के लये एक स्थायी अधिवक्ता की नियुक्ति की आवश्यकता स्वीकार की गयी और यह तय हुआ कि उन्हें वही फीस दी जाये जो कि "सरकारी पैनल लायर" को मिलती है । अभ्यर्थी का चुनाव अध्यक्ष महोदय जिला जज के परामर्श से कर लें और इसके लिये कम से कम दस साल तक की प्रेक्टिस वाले वकीलों से जिले के तीनों बार एशोसिएशन के माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित कर लिये जायें ।

ग- मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार के लिये 6,32,600/- रुपये के अनुदान की स्वीकृति शासन से आ चुकी है । यह धनराशि नगरपालिका से हस्तान्तरित हो चुकी है । अत: यह तय हुआ कि यह कार्य प्राधिकरण द्वारा शीघ्र आरम्भ कराया जाय, और इस सम्बन्ध में अभी जब तक प्राधिकरण की नियमावली नहीं बनती है तब तक नगर पालिका (सार्वजनिक निर्माण विभाग) मेरठ में प्रचलित नियमावली व प्रक्रिया के अनुसार टैन्डर आदि माँगकर काम शुरु कराया जाये । यही बाते आगे स्वीकार होने वाले मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजनाओं पर भी लागू की जाये ।

घ- प्राधिकरण में सर्वे का कार्य आरम्भ करने के लिये एक सर्वेयर, एक ड्राफटसमैन, एक मैट के पद की स्वीकृति निर्धारित वेतनक्रम पर प्रदान की गयी इसके लिये नियमानुसार चुनाव किया जाये ।

10- यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा प्रस्तुत स्पोर्टस गुड्स कालौनी योजना की स्वीकृति पर विचार विमर्श के बाद निम्नांकित निर्णय लिये गये ।

1- मेरठ में स्पोंटस गुडस की महत्ता को देखते हुए प्रस्तावित कालौनी का जितना भूभाग इस योजना के अन्तर्गत आता है उसका उपयोग प्रस्तावित महायोजना में भारी उद्योग के बजाय लद्यु उद्योग में परिवर्तित कर दिया जाये ।

2- प्रस्तावित कालौनी के मानचित्र में दर्शाये गये 0.25 एकड से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों को यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा केवल स्पोर्टस गुडस के लघु उद्योग श्रेणी के उद्यमियों को बेचने की अनुमति दी जाती है ।

11- प्राधिकरण फण्ड का विनियोजन ।

इस सम्बन्धमें इण्डियन ओवरसीज बैंक के पत्र पर विचार हुआ, तय हुआ कि विनियोजन नीति अध्यक्ष महोदय के परामर्श से उपाध्यक्ष, प्राधिकरण के हितों को देखते हुए तय कर लें ।

ह०/-
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।
दिनाँक 12-7-1977

ह०/-
अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।